मंदबुद्धि बालिका के साथ ज्यादती करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

राजगढ. जिला न्यायालय में पदस्थ अपर सत्र न्यायाधीश डॉ अंजली पारे ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में एक मंदबुद्धि पीड़ित बालिका के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को धारा 376 भादंवि में आजीवन कारावास तथा 25 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया। मामले में खास बात यह रही कि बालिका मंदबुद्धि थी ऐसे में उसके बयानों को समझाने के लिए खिलोनों को दिखाकर समझा गया।

जानकारी के अनुसार फरियादी पीड़िता की मां ने खिलचीपुर थाने में रिपोर्ट लिखाई कि मेरी लड़की छत पर टहल रही थी। एक डेढ घंटे बाद जब मैंने लड़की को आवाज लगाई तो उसने नहीं सुना। छत पर जाकर देखा तो लड़की रो रही थी। उसके कपड़े पर खून लगा हुआ था। लड़की से पूछा तो बताया कि पंकज ने उसके साथ बलात्कार किया है। लड़की दिमाग से कमजोर है। रिपोर्ट पर थाना खिलचीपुर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसमें विचारण के दौरान पीड़िता सहित उसके माता पिता, डॉक्टर एवं विवेचना अधिकारियों के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण गवाहों के न्यायालय में बयान कराए गए। विचारण उपरांत न्यायालय ने आदेश पारित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी आलोक श्रीवास्तव ने की।

डीएनए रिपोर्ट में पर्याप्त सबूत न होते हुए भी सजा: अभियोजन द्वारा प्रकरण के विचारण के दौरान पीड़िता के प्रदर्श एफएसएल भोपाल रासायनिक परीक्षण के लिए भेजे गए थे। आरोपी के शरीर से तीन एमएल ब्लड ईडीटीए बायल में प्रिजर्व करवाकर एफएसएल भोपाल डीएनए प्रोफाईलिंग के लिए भेजा गया, लेकिन आरएफएसएल से प्राप्त रिपोर्ट में भेजे गए प्रदर्श अपर्याप्त होने से आरोपी की डीएनए प्रोफाइल प्राप्त नहीं हो सकी। इसके उपरांत भी पीड़ित बालिका द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने संकेतों में साक्ष्य दी गई थी।